Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर

रामधन .... –बनाम– .... भंवरलाल आदि

किस्म मुकदमा – 88,53, 188 आर.टी.ए मुकदमा नम्बर –21/17/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। बकुलाय फरिकेन उपस्थित। वादी, प्रतिवादीगण ने अदालत में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा, बंटवारनामा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि वाके ग्राम कोलासर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नंबर 174, 186, 308, 412 की कुल तादादी 7.52 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है, जिसमें वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान, प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त व अविभाजित हक व हिस्सा है। इस वादगत भूमि के संबंध में पूर्व में पक्षकारान के मध्य सहमति नहीं होने से वादी के द्वारा उक्त वाद को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आज हम पक्षकारान लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी समझाईश व सहमति से राजीनामा पेश कर रहे हैं। राजीनामा के आधार पर वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान व प्रतिवादी संख्या 2 ने बंटवारानामा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार– खसरा नंबर 174 व 186 की कुल तादादी 2.55 हैक्टर में से पासा पूर्व की तादादी 0.8922 हैक्टर भूमि के खाता व लगान विभाजन की डिक्री वादी के नाम से की जाती है तो अन्य पक्षकारान/हिस्सेदारान को काई आपत्ति नहीं होगी। खसरा नंबर 174 व 186 की कुल तादादी 2.55 हैक्टर में से पासा मध्य की तादादी 0.8289 हैक्टर भूमि के खाता व लगान विभाजन की डिक्री प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से की जाती है तो अन्य पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं होगी। खसरा नंबर 174 व 186 की कुल तादादी 2.55 हैक्टर में से पासा पश्चिम की तादादी 0.8289 हैक्टर भूमि की प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में डिक्री की जाती है तो अन्य हिस्सेदारान को काई आपत्ति नहीं होगी। खसरा नंबर 308 की तादादी 1.87 हैक्टर भूमि के खाता व लगान विभाजन की डिक्री प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से की जाती है तो अन्य पक्षकारान/ हिस्सेदारान को काई आपत्ति नहीं होगी।	

अध्यक्ष लोक अदालत   सदस्य लोक अदालत बीकानेर   सदस्य लोक अदालत

खसरा नंबर 412 की तादादी 3.10 हैक्टर में से पासा उत्तर की तादादी 1.55 हैक्टर भूमि की लगान व खाता विभाजन की डिक्री वादी के नाम से व खसरा नंबर 412 की तादादी 3.10 हैक्टर में से पासा दक्षिण की तादादी 1.55 हैक्टर भूमि की खाता व लगान विभाजन की डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 के जायज वारिसान के नाम से की जाती है तो अन्य हिस्सेदारान को काई आपत्ति नहीं होगी।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजीनामा तस्दीक किया जाता है। राजीनामा स्वीकार किया जाता है एवं बंटवारानामा व नकल नक्शे के आधार पर वादगत कृषि भूमि वाके ग्राम कोलासर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नंबर 174, 186, 308, 412 की कुल तादादी 7.52 हैक्टर भूमि में से खसरा नंबर 174, व 186 की कुल तादादी 2.55 हैक्टर भूमि में से पासा पूर्व की 0.0891 हैक्टर व खसरा नंबर 412 की कुल तादादी 3.10 हैक्टर भूमि में पासा उत्तर की 1.55 हैक्टर भूमि नक्शे में नारंगी रंग से दर्शित वादी रामधन उपाध्याय तथा खसरा नंबर 174 व 186 की कुल तादादी 2.55 हैक्टर में से मध्य की 0.8289 हैक्टर व खसरा नंबर 308 की 1.87 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि नक्शे में हरे रंग से दर्शित प्रतिवादी संख्या 2 शिवनारायण तथा खसरा नंबर 174 व 186 की कुल तादादी 2.55 हैक्टर में से पासा पश्चिम की तादादी 0.8289 हैक्टर भूमि व खसरा नंबर 412 की तादादी 3.10 हैक्टर में से पासा दक्षिण की तादादी 1.55 हैक्टर भूमि नक्शे में नीले रंग से दर्शित प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान के मध्य राजीनामा के आधार पर 7.52 हैक्टर कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है। आदेश आज दिनांक 12.03.2022 को लिखवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर संबंधित न्यायालय को भिजवायी जावे।

सदस्य
लोक अदालत
बीकानेर

अध्यक्ष
लोक अदालत
बीकानेर

सदस्य
लोक अदालत
बीकानेर